छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं संस्कृति विभाग
मंत्रालय, रायपुर

कमांक एफ 3 -1/30/2001/व. सं. रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

संकल्प

विषय :- <u>सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं प्रवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की नीति</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य की कोई औपचारिक शासकीय सांस्कृतिक नीति की घोषणा नही की जाएगी, न ही उसे थोपा जाएगा बल्कि यह, स्थानीय समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परम्पराओं की पहचान, मान्यता देना, पुनर्जीवित करना, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति एवं उनका प्रचार-प्रसार, होगा ।

2. राज्य, शास्त्रीय, लोक, जनजातीय, दृश्य, प्रदर्शनकारी, महानगरीय एवं ग्राम्य कलारूपों के बीच कृत्रिम सीमाएं नही बनाएगा, बल्कि इनके अंत:संबंधों और संकमणों की पहचान एवं सम्मान करेगा ।

3. राज्य, अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय परंपराओं को प्रोत्साहित करेगा । मूर्त वस्तुओं का संकलन एवं दस्तावेजीकरण तथा अमूर्त परंपराओं का पुनर्संकलन करेगा, इसका मूल स्थानों पर पुनरुध्दार एवं निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा ।

4. राज्य, नई संस्थाओं, उत्सवों को प्रस्थापित करने के बजाय अस्तित्वमान , सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों एवं संस्थाओं को केन्द्र मानकर, कार्य करने एवं बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ।

5. राज्य, समुदायों के बीच पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करने एवं उन्हें विकसित करने में, उनके जीवन, उनकी कलाओं एवं इन कलाओं के रूपों और कियाओं के बीच उत्प्रेरक का कार्य करेगा । समुदायों के पर्यावरण केन्द्रित, विकास रणनीति के अनिवार्य तत्व के रूप में, संस्कृति पोषित एवं विभूषित होगी, जिससे संसाधन-प्रबंधन एवं जीवन निर्वाह को गति मिलेगी । संस्कृति, जीवन के सभी हिस्सों का अनिवार्य घटक है इसलिये शासन के समस्त विभागों के आयोजनों में संस्कृति तत्व की पहचान, सन्निवेश और विकास के प्रयास किए जाएंगे । संस्कृति को मात्र नाच एवं गाने के कार्यकमों तक सीमित नही किया जाएगा, न ही इसे केवल संस्कृति-विभाग का कार्यक्षेत्र माना जाएगा ।

6. वृहत विकास परियोजनाओं के निर्माण एवं कियान्वयन में एक हिस्से के रूप में सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन सन्निहित किया जावेगा ।

7. संस्कृति में सामुदायिक पहचान को बरकरार रखने अंत:संकायी संवाद, संस्थागत समन्वय तथा विकेन्द्रित मैदानी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

8. छत्तीसगढ़ के अद्वितीय सांस्कृतिक वैविध्य एवं विशिष्ट पहचान को परिभाषित कर, उसके सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों तथा सांस्कृतिक प्रदेशों के साथ संबंध व विनिमय स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सामुदायिक सांस्कृतिक पहचान तथा भू-परिदृश्य की राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति की जाएगी।

9. बोलियों के बीच सेतु बनाए जाएंगे। ऐसी बोलियां, जिनकी लिपि नही है, की लिपि विकसित की जावेगी। विश्व के दूसरे हिस्सों की देशज जनजातियों एवं समरूप समुदायों से, देश के अन्य प्रदेशों से एवं नवनिर्मित राज्यों के पहाड़ी एवं वन समुदायों के मध्य संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

10. संस्कृति में ज्ञान का संचयन एवं उसके उपयोग को एकाकी रुप में न देखकर साथ-साथ चलने वाली प्रकिया के रूप में देखा जाएगा।

11. स्थानीय समुदायों के सह-निर्देशित पहल से सांस्कृतिक कार्यकमों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

12. राज्य में केवल एक बहुआयामी सांस्कृतिक परिषद् होगी, जिसमें ख्यातिप्राप्त सलाहकारों की एक अंतःसंकायी समिति होगी साथ ही विभिन्न कलाओं एवं संकायों से चयनित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। यह केन्द्र समुदायों के विशिष्ट सांस्कृतिक किया-कलापों को अंतः संकायी तत्वों सहित पहाड़ियों, जंगलों, शहरों, कस्बों एवं गांवों में प्रोत्साहित करेगी।

13. केवल स्मारकों को ही संरक्षण प्रदान नही किया जाएगा, अपितु महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भू-दृश्यों को भी सुरक्षित किया जाएगा। पुरावशेषों एवं संबध्द भू-दृश्यों को विश्व धरोहर स्मारक के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा।

14. विभिन्न समुदायों के सामुदायिक तथा जैव-सांस्कृतिक इतिहास संबंधी कार्य, समुदायों के जैविक और भौतिक परिवेशीय अंतर्संबंध के संदर्भ में किया जाएगा। अपने मूल स्थान में जीवन को उन्नति देने वाले ज्ञान, दक्षता और तकनीक के तत्वों के विशिष्ट एवं लुप्तप्राय मौखिक एवं अभिलिखित परंपराओं का उद्धार एवं प्रोत्साहन होगा, ऐसी परंपराओं के संधारक विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सन्स) की निर्देशिका बनाई जाएगी। विशेषज्ञों को, अपने समकक्षों को प्रशिक्षित करने, अपने उद्यम को आगे बढ़ाते रहने एवं अपने उत्पादों, सेवाओं के विपणन के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।

15. पर्यटन को जैविक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक अनुरक्षण के अनाकामक उपकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, केवल व्यावसायिक मनोरंजन के साधन के रूप में नही।

16. छत्तीसगढ़ को स्वयमेव जीवंत संग्रहालय मानकर, मूल स्थान तथा निर्धारित स्थलों पर आयोजित प्रदर्शनों की संकल्पना, समस्याओं के मूल्यांकन एवं समाधान को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगा, न कि निष्क्रिय प्रादर्शों के रूप में।

17. सांस्कृतिक संसाधन विकास में महिलाओं के भूमिका को विकसित किया जाएगा, बालकों एवं बालिकाओं की यथोचित भागीदारी का प्रावधान होगा, साथ ही शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों से जूझते लोगों के संस्कृति के क्षेत्र मे प्रवेश को प्रोत्साहन होगा ।

18. सांस्कृतिक गतिविधियों को भूत, वर्तमान एवं भविष्य की पृथकता के बजाय उसके अविभाज्य निरंतरता में देखा जाएगा । समुदायों को उनके सामुदायिक, विशेषकर पर्यावरणीय इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित जनजातीय इतिहास की रचना हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि उनके हित एवं समृध्दि के लिए परिकल्पित, राज्य की योजनाओं को आधार मिल सके । परंपरा की प्रासंगिकता और सामयिकता का परीक्षण, आधुनिकता और विकास के संदर्भ में होगा ।

19. संस्कृति को उपभोग्य वस्तु अथवा उत्पाद मात्र न मानकर एक जीवंत निरंतर प्रवाह माना जाएगा । सांस्कृतिक शोध-शिक्षण, समीक्षा तथा शोध, उपचार तथा प्रशिक्षण, प्रकाशन तथा समर्थन को प्रोत्साहित किया जाएगा । सांस्कृतिक व्यूह रचना को गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित जीवन-यापन, विभिन्न समूहों में समरसता तथा सहअस्तित्व से सम्बद्ध करने वाले सूत्र, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए आधारभूमि बनाएंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राम प्रकाश) 24/X/01
विशेष सचिव
वन एवं संस्कृति विभाग